Serial No. - 25239 Book No.- 1 / Deed No. - 20939

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 10th of August 2011 by Suryabhushan Singh.

A stamp duty of Rs. 1700600/- and other fees of Rs. 829/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 20939 in Book No. 1, Volume No. 362 on pages from 124 to 137 and has been preserved in total 14 pages in C.D. No. 567 Year 2011.

Signature with date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer , Patna

Date : 10/08/2011 Token No. : 25781 / 2011

SCANNED

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 09.08.2011 को *श्री सूर्यभूषण सिंह* पिता का नाम स्व. ब्रह्मानन्द सिंह, निवासी ग्राम- कोथवाँ, थाना- खगौल, जिला- पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

Serial No : 25239 Token No : 25781 Type & Status of Party	Deed No : 20939 of 2011 Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little	
In Favour of	*Arun Kumar Singh* 10/08/11 Signature of Party							
Presented by Self	*Suryabhushan Singh* सूर्य-भूषण सिंह 10/8/2011 Signature of Party							
Executed by	*Suryabhushan Singh* Signature of Party							
Identifier	*Devdhari Singh* देवधारी सिंह 10/2/2011 Signature of Party							

एवं

मेसर्स कश्यप ग्रीन होम्स प्रा० लि०, जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत संचालित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय शैलजा टावर, कंकड़बाग मेन रोड, पटना–20 द्वारा निदेशक ***श्री अरूण कुमार सिंह*** पिता का नाम स्वं. जगदीश प्रसाद सिंह, निवासी- नूतन विहार, कंकड़बाग, जिला- पटना, नागरिकता- भारतीय, के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक महल्ला- अभिमन्यु नगर, मौजा- जलालपुर, परगना- फुलवारी, सर्वे थाना- दानापुर, सम्प्रति थाना- खगौल, जिला- पटना के थाना नं.- 22, तौजी नं.- 5524, खाता नं. 151, सर्वे प्लौट नं. 411, 412, 415, 416 एवं 418 एसजी 3 एकड़ 12.5 डिसमिल है, पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

हकियत यह है कि इस विकास एकरारनामा के अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति मिथला शरण सिंह और जुगला शरण सिंह वल्द घसीटा सिंह ने दो विभिन्न निबंधित वसीकाओं से बराबर-बराबर हिस्सा अर्थात् क्रेय की गई भूमि का आधा-आधा हिस्सा श्री कुलदीप शरण सिंह वल्द बाबु बजीर सिंह, मौजा- जलालपुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना से क्रय की थी जिसका निबंधन अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में पुस्त संख्या-1, जिल्द संख्या-6, पृष्ठ संख्या- 248 से 254 तक पर अंकित कर वसीका संख्या- 323/1919 एवं पुस्त संख्या-1, जिल्द संख्या- 47, पृष्ठ संख्या- 162 से 168 तक पर अंकित कर वसीका संख्या- 324/1919 द्वारा दिनांक 17.02.1919 को हुआ है। तब से मिथला शरण सिंह एवं

जुगला शरण सिंह लेख्य सम्पति पर स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए आपस में खरीदी हुई सम्पतियों को खानगी तौर पर आधा-आधा हिस्सा बॉट लिये, जिससे लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ जुगला शरण सिंह के हिस्से में मिली। जुगला शरण सिंह अपने एक मात्र पुत्र ब्रह्मानन्द सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। ब्रह्मानन्द सिंह भी अपने पीछे एक मात्र पुत्र सूर्य भूषण सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् सूर्यभूषण सिंह लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियों पर स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है और दाखिल खारीज कराकर सरकार को जमाबंदी संख्या- 279 पर लगान भुगतान करते चले आ रहे है। इस तरह अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति को जमीन मालिक किसी के साथ अन्तरण करने, बिक्री करने या विकास एकरारनामा करने का पूर्ण अधिकार धारित करते है, जो जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से

9/08/11

सूर्य भूषण सिंह
9/8/2011

यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर नगर परिषद खगौल/दानापुर से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पति का डेवलपमेंट करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि, वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस विकासकर्त्ता इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षति भूगतान करने के उत्तरदायी होंगे।

3. यह कि द्वितीय पक्ष (विकासकर्त्ता) कि अनुसूची-1 में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला ईमारत की संरचना 5 वर्ष एवं 6 माह का ग्रेस अवधि अलग से क्रिया जायेगा, जो समय सीमा 17.09.2011 से प्रभावी होगा।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण छत का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि नगर परिषद खगौल/दानापुर द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में कुल निर्मित अंश का जमीन मलिक का 40 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 40 प्रतिशत हिस्सा निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा जमीन मालिक के हिस्से के भवन एवं फ्लैट का निर्माण इस विलेख के अनुसूची-2 में वर्णित शर्तो के अनुरूप निर्मित होगा।

9/08/11

9/8/2011

पटना

6. यह कि उपर्युक्त नक्शा को नगर परिषद खगौल/दानापुर, से अनुमति लेने के लिए भूस्वामी के हस्ताक्षर से जमा किया जायेग, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नही होगा, परन्तु इसमे जो भी खर्च होगा यानि सभी खर्च द्वितीय पक्ष (विकासकर्त्ता) को वहन करना होगा।

7. यह कि नगर परिषद खगौल/दानापुर में जमा करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पर जो भी आवश्यक होगा प्रथम पक्ष अपनां हस्ताक्षर करेंगे।

8. ~~यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष निर्माण पूरा~~ करने के पश्चात् भूखंड स्वामी के निर्मित क्षेत्र में से 40 प्रतिशत पहले देंगे तथा विकासकर्त्ता का हिस्सा 60 प्रतिशत होगा। विकासकर्त्ता भूखंड स्वामी के पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ 40 प्रतिशत पहले सौपेंगे तथा शेष 60 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) का होगा।

9. भूखंड स्वामी के अपने हिस्से का फ्लैट सभी तल एवं सभी दिशा पर दिया जायेगा। उसी प्रकार ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग में से अपने हिस्से का पार्किंग भूखंड स्वामी को दिया जाएगा। दोनों पक्ष को जो फ्लैट मिलेगा उसका मापी बिल्ट-अप एरिया का होगा। बिल्ट-अप एरिया का सभी सुविधा भी प्रथम पक्ष को पहले मिलेगा। जेनेरेटर, लिफ्ट, इंटरकॉम तथा ट्रांसफॉर्मर का अतिरिक्त शुल्क भूस्वामी (प्रथम पक्ष) को नहीं देना होगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष 40 प्रतिशत देने के बाद एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये फ्लैट के क्रेता अपने-अपने हिस्से फ्लैट-पार्किंग एरिया का बिक्री करने, किराया लगाने एवं निजी उपयोग के लिए स्वतंत्र है।

11. यह कि विकासकर्त्ता पहले भूखंड स्वामी के हिस्से को निर्माण पूर्ण कर सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर 5 वर्ष **एवं 6 माह** ग्रेस पिरियड के अंदर सौपेंगे शेष द्वितीय पक्ष के हिस्से का निर्माण को अगर निर्धारित समय से देरी होगी, तो उसे प्रथम पक्ष को एतराज नहीं होगा प्रकृतिक विपदा और प्राकृतिक

अनहोनी के कारण भवन निर्माण में जितनी देरी होगी तो उतना समय दिये गये समय 5 वर्ष तथा 6 ग्रेस पिरियड से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

12. यह कि इस एग्रीमेंट के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्रों के प्रस्तावित सुविधाओं के साथ कॉमन स्पेश एवं फ्लैट को उपयोग व उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. यह कि विकासक अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति पर विकासक द्वारा बैक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लेंगे, किन्तु अनुसूची-1 में वर्णित पर बहुमंजिला ईमारत बनने के बाद फ्लैट खरीदार द्वारा बैक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकतें है।

14. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठेकेदार की नियुक्ति विकासकर्त्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

15. यह कि बहुमंजिला ईमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेंट औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य संबंधित कार्यो हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन हेतु वंछित राशि लेकर द्वितीय पक्ष उक्त अभिलेख को निष्पादन करेंगे।

16. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमती प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों को स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी स्टाम्प ड्यूटी खर्च एवं कोट एवं रजिस्ट्रेशन खर्च का वहन खरीदार करेंगे।

17. यह कि जब कभी विकासकर्त्ता को भूखंड स्वामी से सबंधित फ्लैट क्षेत्र पर बने फ्लैट के स्थानान्तरण हेतु किसी वसीका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी उनके साथे लेकर उनकी सहमती से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिए स्वामित्व हस्तानान्तरण हेतु कागजात पर हस्ताक्षर बनायेंगे एवं संबंधित भूखंड स्वामी उस गव्राही के रूप में हस्ताक्षर बनायेंगे तथा निर्धारित हिस्सा के मुताबिक ही आचरण करेंगे इसी प्रकार भूखड स्वामीगण भी अपने हिस्से से

पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का स्वामी होंगे तथा हस्तानान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्त्ता निष्पादन के समय गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर देंगे।

18. यह कि उपर्युक्त वर्णित समय सीमा 5 वर्ष एवं 6 माह ग्रेस पिरियेड सीमा के अन्दर अगर विकासक द्वारा जमीन मालिक के हिस्से में जो भी शेष फ्लैट बच जायेगा, उस शेष बचे प्रति फ्लैट के बदले विकासक जमीन मालिक को मो. 5,000/- (पाँच हजार) रूपये प्रति माह हर्जाना के रूप में भुगतान करेंगे।

19. यह कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विकासकर्त्ता द्वारा एक एसोशियेसन सभी फ्लैट धारियों (फ्लैट मालिकों) का बनाया जायेगा जो इस एसोशियेसन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेंट का रख-रखाव एवं देख रेख करेंगे।

20. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा। भूखंड स्वामी (प्रथम पक्ष) तथा विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) उपरोक्त सभी बातों एवं शर्तों पर सहमत है तथा वादा करते है कि मिलजुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

21. निर्माण कार्य का विस्तरित विवरण अनुसूची-2 में अंकित है।

22. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नही रहेगा।

9/08/11

9/8/2011

पटना

23. यह कि विकासक इस विलेख में निहित जमीन के अगल-बगल की जमीन उपलब्ध होने पर खरीद एवं विकास एकरारनामा सम्बंधित जमीन मालिक से करेंगे और इस विलेख में निहित जमीन पर बनने वाला भवन का परिसर का विस्तार उस रूप में करेंगे जिसमें इस विलेख के जमीन मालिक को किसी भी प्रकार का आपत्ति एवं विरोध करने का अधिकार नही होगा।

अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो महल्ला- अभिमन्यु नगर, मौजा- जलालपुर, परगन्ना- फुलवारी, सर्वे थाना- दानापुर, सम्प्रति थाना- खगौल, जिला- पटना के थाना नं.- 22, तौजी नं.- 5524, खाता नं. 151, सर्वे प्लौट नं. 411, 412, 415, 416 एवं 418 एराजी 3 एकड़ 12.5 डिसमिल (तीन एकड़ बारह दशमलव पाँच डिसमील) है, यह लेख्य सम्पति निजामत नगरपालिका दानापुर तथा अवर निबंधन कार्यालय दानापुर तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो. 10 रूपये अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी, दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी संख्या- 279 पर भुगतान किया जाता है, जिसकी प्लौटवार चौहद्दी निम्नवत है :-

प्लौट संख्या- 411 की चौहद्दी

उत्तर :- आहर
दक्षिण :- नीज जमीन मालिक वो उमेश सिंह
पूरब :- उमेश सिंह
पश्चिम :- नीज जमीन मालिक वो उमेश सिंह

प्लौट संख्या- 412 की चौहद्दी

उत्तर :- आहर
दक्षिण :- शिवलाल सिंह
पूरब :- नीज जमीन मालिक वो उमेश सिंह
पश्चिम :- आहर

प्लौट संख्या- 415 की चौहद्दी

उत्तर :- उमेश सिंह
दक्षिण :- चैनल
पूरब :- उमेश सिंह
पश्चिम :- ईश्वरी सिंह

प्लौट संख्या- 416 की चौहद्दी

उत्तर :- नीज जमीन मालिक वो उमेश सिंह

दक्षिण :- चैनल

पूरब :- उमेश सिंह

पश्चिम :- उमेश सिंह

प्लौट संख्या- 418 की चौहद्दी

उत्तर :- उमेश सिंह

दक्षिण :- उमेश सिंह वो सर्वेन्दु प्रसाद सिंह

पूरब :- नीज जमीन मालिक

पश्चिम :- नीज जमीन मालिक

नोट :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2011-12 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं.- 126, जोन-3** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो. 8,50,00,000/- (आठ करोड़ पचास लाख) रूपया है।

अनुसूची II

जमीन मालिक के क्षेत्र का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

1. फाउंडेशन :- आर.सी.सी पाईलिंग भूकंप रोधी स्ट्रक्चर डिजाईन के अनुसार।
2. स्ट्रचर :- आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर।
3. सिविलवर्क:- 1 नं. ईट वर्क सिमेंट मेटेरियल के साथ।
4. छत :- आर.सी.सी., हिट प्रुफ वाटर प्रुफ
5. फर्श :- भिटीफाईट टाईल्स।
6. प्लास्टर :- सिमेंट मोर्टार 1:6 सिलिंग 1:4
7. दरवाजा :- फ्लश डोर
8. चौखट :- सखुआ
9. खिड़की :- सालउड फ्रेम
10. किचेन :- किचेन में हरा मार्बल (प्लेटफार्म के उपर दो फीट सेरामिक्स टाईल्स) सिंक एवं फिटीग अच्छी क्वालीटी का।
11. बाथरूम :- दिवाल में 6' ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में फ्लोर टाईल्स फ्लोरिंग के साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग नल फिटिंग, (सभी आई.एस.आई. मार्क, इस्को या समकक्ष चीनी मिट्टी का सफेद पैन फिटिंग मास्टर बेडरूम, टवायलेट, गर्म एवं ठंडा पानी की व्यवस्था।
12. विद्युत वायरिंग: कौसिल्ड पी.वी.सी. कॉन्डयूट वायरिंग सहित स्टैन्ड क्वालीटी का फिटिंग स्वीच के साथ। ए.सी. का प्वाईट हरेक बेडरूम में रहेगा।

9/8/11

9/8/2011

13. टी.भी. प्वाईट :- सभी फ्लैट में दो प्वाईट
14. टेलीफोन प्वाईट:- सभी फ्लैट में दो प्वाईट
15. सीवेज :- सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
16. केबल प्वाईट : प्रत्येक फ्लैट में एक प्वाईट
17. जेनेरेटर, लिफ्ट, सबमरसिवल पम्प : बढ़िया क्वालिटी।
18. इन्टरकॉम :- हरेक फ्लैट में एक प्वाईट
19. सीवरेज :- डिजाईन एवं उपर्युक्त व्यवस्था के साथ
20. बाउंड्री :- चारों तरफ से 5 फीट ऊँचा।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

1. देवधारी सिंह
पिता - स्व० रामलखन सिंह
ग्राम - कोथवाँ
पोस्ट - खगौल
थाना - खगौल
जिला - पटना
तिथि - 9/8/2011

2. Munna Kumar
S/o Shailendra Singh
Maxwell Apt
Rajapur
patna

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

9/08/11
Arun Kumar Singh

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

प्रारुप तैयार किया।
Jay Anand
Advocate

chamber of
(अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")
अधिवक्ता,
बी.ए. (ऑनर्स), एम.ए.,एल एल.बी.
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

मुद्रित किया:-
Kumar
(संजीव कुमार)
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 1700600 *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* Rs. 0

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. *Amt. paid through Bank Challan -* Rs. 1701429

	Registration Fee									LLR + Process Fee		Service Charge
FEE PAID A1	0	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	LLR	0	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee	0	350
A9	0	DD	0	I	150	K1c	0	Mb	25	Total-	0	
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54			
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					
							TOTAL-		479			

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 829

Registering Officer
Patna

Date : 10/08/2011

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 10th August 2011 by Suryabhushan Singh S/Olate Brahmanand Singh by profession Others. Status - Executant

सूर्य-भूषण सिंह
10/8/2011

Signature / L.T.I. of Presentant *Date:* 10/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Devdhari Singh age . Sex M son/daughter of S/O Ram Lakhan Singh resident of Kothwan,Ps-Danapur,Patna) whose names, photographs fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date . 10/08/2011

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 362 on page no. 124 - 137 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-56 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 10/08/2011

Token No. 25781 Year - 2011 Sl.No. 25239 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 20939 NIC-Bihar